

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 367825

पटना, दिनांक 04.05.2018

आ.वि.07(अं0)-01/2018

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार से सामग्री मद एवं प्रशासनिक मद में प्राप्त केन्द्रांश (Grant in aid to state Government) के प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये के व्यय की स्वीकृति के संबंध में ।

आदेश:- स्वीकृत ।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्तमान में राज्य के सभी 38 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ-साथ टिकाऊ परिसम्पत्ति का सृजन कर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है । योजनान्तर्गत प्रत्येक परिवार के इच्छुक वयस्क सदस्यों द्वारा काम मांगने पर एक वित्तीय वर्ष अन्तर्गत 100 दिन का अकुशल मजदूरी दिये जाने का प्रावधान है । योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा मजदूरी मद में बिहार राज्य के अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित संदेय मजदूरी दर के अनुरूप व्यय राशि का शत-प्रतिशत तथा सामग्री मद में निर्धारित सीमा के अधीन 75 प्रतिशत राशि का वहन केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है ।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम बिहार के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु सामग्री/प्रशासनिक मद में कुल रुपये 62611.30 लाख (छ: अरब छब्बीस करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार) रुपये प्राप्त राशि को सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से निकासी कर State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna में विमुक्त किया गया है ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत केन्द्रांश मद में मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9178 अंतर्गत कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अठानबे लाख) रुपये का आय व्ययक उपबंध प्राप्त है ।

4. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V SI.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा प्रथम भाग के प्रथम किस्त की राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) रुपये के विमुक्ति की स्वीकृति दी गयी है (प्रति संलग्न) ।

5. उक्त राशि की निकासी उपरोक्त कंडिका 3 में उपबंधित राशि कुल 176398.00 लाख (सतरह अरब तिरसठ करोड़ अठानबे लाख) रुपये में से की जायेगी ।

6. इस योजना का कार्यान्वयन पूरे राज्य में वर्ष 2018-19 में किया जाना है ।

7. उक्त राशि की निकासी, विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी तथा निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना से की जायेगी ।

8. भारत सरकार के स्वीकृत्यादेश संख्या पत्रांक G-31011/3/2018-MGNREGA-V SI.No.-5 दिनांक 09-04-2018 द्वारा के कंडिका-3 के आलोक में केन्द्रांश की विमुक्त राशि की निकासी हेतु प्रशासी विभाग सक्षम है ।

9. उक्त राशि State Employment Guarantee fund, Bihar, Patna के State Bank of India, R-Block, IFSC Code SBIN0031501 में धारित Account no-61310273370 में विमुक्त किया जायेगा एवं बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

10. स्वीकृत राशि कुल 20526.71 लाख (दो अरब पांच करोड़ छब्बीस लाख इकहत्तर हजार) मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0201-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा), विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा, मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010201 पी0एफ0एम0एस0 कोड-9178 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

11. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना को ध्यान में रखते हेतु वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन निकासी होगी ।

12. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

13. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

14. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संघिका सं0- ग्रा0वि-07(आ)-01/2018 के टिप्पणी 03/टि0 पर दिनांक 19.04.2018 को प्राप्त है ।

अनु0 - यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश परिमल)

उप सचिव

जापांक 367825 पटना, दिनांक 04.05.2018

ग्रा.वि.07(आं0)-01/2018

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, बिहार, पटना / वित्त नियंत्रक, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / प्रभारी सांख्यिकी सहायक एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

4.5.18
उप सचिव

